प्रेस नोट दिनांक 12.05.21 थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा" त्यौहार ईद को सकुशल संपन्न कराने हेतु व कोविड 19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरूकता अभियान व कन्टेमेन्ट जोन की चेकिंग के अभियान अन्तर्गत, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण, श्री अरूण चन्द्र,क्षेत्राधिकारी बांसी व उपजिलाधिकारी बांसी के निर्देशन में श्री अजय कुमार यादव प्रभारी थानाध्यक्ष थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के साथ थाना स्थानीय पर त्योहार ईद को सकुशल संपन्न कराने हेतु थाना स्थानीय के समस्त उपनिरीक्षक गण के साथ मीटिंग की गई व आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया व थाना स्थानीय क्षेत्र में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु कन्टेनमेन्ट जोन की चेकिंग की कार्यवाही की गयी। लाऊड हेलर के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 12.05.2021

"शांति व्यवस्था भंग करने वाले 05 व्यक्ति के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही"

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बांसी श्री अरुण चंद्र के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश कुमार सिंह थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.05.2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 05 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

विवाद का कारण - एनसीआर न 101/2021 व एनसीआर न 102/2021 व एनसीआर न 103/2021व एनसीआर न 104/2021 में

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

1. रामदास पुत्र राम समाज 2.रामबली पुत्र पूर्णमासी
3. मनोज पुत्र बीरबल
4.देढ़ू पुत्र राम लखन सकिनान समोगरा थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
1. इंद्र देव शुक्ला पुत्र वीरेंद्र शुक्ला साकिन कम्हरिया थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उप निरीक्षक सर्वेश चंद
2.हे0का0 जयप्रकाश पासवान
3.का0 विकाश ओझा
4.का0 राकेश कुमार

प्रेस नोट दिनांक 12.05.2021

आगामी त्यौहार ईद-उल-फितर के दृष्टिगत जनपद के मुस्लिम समुदाय के विभिन्न धर्म-गुरूओं, सभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु आम जन-मानस से कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए आगामी त्यौहार को सकुशल मनाने की अपील किया गया व शुभकामनाये दी गयी।

कोविड-19 के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी गाईडलाइ के क्रम में आंशिक कर्फ्यू के दृष्टिगत इस वर्ष मुस्लिम समुदाय के लोगो द्वारा ईद का नमाज जनपद के इदगाहों/मस्जिदो तथा विशेषकर अपने-अपने घरों में अदा किया जाना प्रस्वावित है। इसी के क्रम में मुस्लिम समुदाय के विभिन्न धर्म-गुरूओं, सभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु आम जन-मानस से कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए आगामी त्यौहार को सकुशल मनाने की अपील किया गया व शुभकामनाये दी गयी।

प्रेस नोट दिनांक 12.05.2021

कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही।

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व कोविड महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाया गया।

इस क्रम में आज दिनांक 12-05-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने तथा अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के कारण महामारी अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 का उल्लंघन करने वाले 346 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा उनसे कुल ₹ 49,350/- की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई।

प्रेस नोट दिनांक 12.05.2021

मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही।

यातायात नियमों व लाकडाउन उल्लंघन कर फर्राटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 12-05-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 952 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 285 वाहनों का चालान व 05 वाहनों को सीज कर ₹ 2,83,900/-शमन शुल्क वसूल किया गया।